

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ CON OF CC ROAD AT W-7 RAJESH PRAJAPAT TO
CHANDRAKANT VYAS KE MAKAN TAK & VIBHINN GALIYA /2026/381 इंदौर , दिनांक

- 17-03-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

BISTAN NAGAR PARISHAD, जिला: KHARGONE

विषय: - CON OF CC ROAD AT W-7 RAJESH PRAJAPAT TO CHANDRAKANT
VYAS KE MAKAN TAK & VIBHINN GALIYA की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: - PROJECT NUMBER PW1-EN2-0502-26-381

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्तर्गत में CC Road कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है।निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे।म.प्र.नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

| क. | कार्य का नाम | मद | प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण | तकनीकी स्वीकृति की राशि | जीएसटी (GST) | जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि |
|----|---|--|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | CON OF CC ROAD AT W-7 RAJESH PRAJAPAT TO CHANDRAKANT VYAS KE MAKAN TAK & VIBHINN GALIYA | Municipal Fund, Municipal Fund, Municipal Fund | As per Estimation | 1952707.81 | 351487.4 | 2304195.21 |

शर्तें-

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
3. सी.सी. रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य

करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा ।

4. डब्ल्यू.बी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंड्राज माप पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था से कराना सुनिश्चित करें ।
5. तथ्यअॅ को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे ।
6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ।
7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तांतरण की कार्यवाही की जावे । निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे ।
8. भूमि विवाद की स्थिती में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे ।
10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण मे कॉमन यूटीलिटी डक्ट का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जावे ।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईस्ट/सप्लीमेन्ट्री कार्यों के लिए नहीं । तथ्यअॅ को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें ।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा । निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी । अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा ।
15. निःशक्त जनअॅ के लिए वाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए । पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेप्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाँइन्ट आदि लगाये जावे ।
16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे । नजूल एवं अन्य विभागअॅ से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे ।
17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे ।
18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा । Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा ।

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ CON OF CC ROAD AT W-7 RAJESH PRAJAPAT TO
CHANDRAKANT VYAS KE MAKAN TAK & VIBHINN GALIYA /2026/381 इंदौर , दिनांक
- 17-03-2026

| क. | कार्य का नाम | मद | प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण | तकनीकी स्वीकृति की राशि | जीएसटी (GST) | जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि |
|----|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 1 | CON OF CC ROAD AT W-7 RAJESH PRAJAPAT TO CHANDRAKANT VYAS KE MAKAN TAK & VIBHINN GALIYA | Municipal Fund, Municipal Fund, Municipal Fund | As per Estimation | 1952707.81 | 351487.4 | 2304195.21 |

| |
|--|
| |
|--|

E-sign